न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 2016 / 85

1. प्रहलाद पुत्र श्री पांचूराम आयु 45 साल
2. श्रीमती रूकमणी बेवा राम कुमार आयु 45 साल (मृतक दौराने दावा)

2/1 मांगीलाल उम्र 23 वर्ष पुत्रान् स्वर्गीय श्रीमती रूकमणी देवी एवं रामकुवार मीणा

2/2 ताराचन्द उम्र 2 वर्ष पुत्रान् स्वर्गीय श्रीमती रूकमणी देवी एवं रामकुवार मीणा

समस्त जातियान मीणा, निवासीयान् ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, इन्द्रा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 14.11.2019

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण ने ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर में हाल खसरा नंबर 145 की भूमि रकबा 11.04 हैक्टर किस्म चारागाह स्थित होने व पूर्व में खसरा नंबर 137 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा में से मिन रकबा 8.24 हैक्टर तथा खसरा नंबर 136 रकबा 31 बीघा 7 बिस्वा में से मिन रकबा 2.80 हैक्टर से मिलकर बनना तथा खसरा नंबर 137 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा खसरा नंबर 95/1 के कुल रकबे 55 बीघा 2 बिस्वा में से मिन रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा से बनना कथन कर खसरा नंबर 95/1 रकबा 55 बीघा 2 बिस्वा वाली भूमि ठिकाना

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

करूणाकर पुण्डरिक की जागीर में थी, जिसमें से 25 बीघा भूमि उक्त जागीरदार ने लगान पर वादीगण के पूर्वज गंगाराम को काश्त हेतु दे रखा था, जिसका वर्तमान खसरा नंबर 145 में रकबा 6.10 हैक्टेयर पर वादीगण का उनके पूर्वजों के समय से लगातार शान्तिपूर्वक निर्बाध कब्जा काश्त रहा है, जो मुकदमें में वादग्रस्त आराजी भूमि है। वादीगण ग्राम पालडी मीणा के स्थायी मूल निवासी काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा अनगढ अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। सम्वत् 2015 में नया खसरा नंबर 137 बना, जिसकी खातेदारी ठिकाना छोटा व ठिकाना बढा के नाम थी तथा सम्वत् 2015 से पूर्व सम्वत् 2013 व 2014 में मकबूजा खातेदारी दर्ज थी, जिस पर वादीगण के पूर्वज गंगाराम व अन्य ठिकाना जागीरदार से बांटे बटाइ में लगान् अदा कर काश्त करते रहे। उनके बाद वादीगण के पूर्वज व वादीगण बहैसियत काश्तकार लगातार काबिज रहे। इस प्रकार हाल खसरा नंबर 145 में से 6.10 हैक्टर भूमि पर वादीगण लगातार अपने पूर्वजों के समय से आज दिन तक काबिज काश्त है। ग्राम पालडी मीणा की तन की समस्त आराजी भूमि में सम्वत् 2015 से पूर्व खसरा नंबर 184 ही चारागाह की भूमि थी। तब वादग्रस्त भूमि कभी भी चारागाह की भूमि नहीं रही और न ही चारागाह के लिए कभी काम में ली ई तथा चारागाह में परिवर्तन करने का कभी कोई आदेश भी पारित नहीं हुआ, लेकिन सम्वत् 2015 में भ्र प्रबंध विभाग के कारकूनान् ने बिना किसी आदेश व अधिकार के उसे गैरकानूनी रूप से चारागाह किस्म कतई गलत दर्ज कर दी, जबकि सम्तव् 1937 से आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज तथा वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा है, जिसका वादीगण के हक में राजस्व रिकॉर्ड व लगान् रसीदें आदि हैं। वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त से वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा माह मार्च 1995 में जबरिया बेदखल करने पर आमादा होने पर वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी करने पर सर्वप्रथम उपरोक्त वर्णित तथ्यों की जानकारी होने पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि को चारागाह किस्म नहीं होने तथा वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि घोषित करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होने पर दावा पेश किया।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादीगण बाबत् अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम बराबर–बराबर घोषित की जावे। प्रतिवादीगण को

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादग्रस्त भूमि मुन्दर्जा मद संख्या 2 से वादीगण को बेदखल नहीं करें न ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कोई कार्यवाही करें। विवादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ दस्तावेजात सत्यापित प्रति खसरा संवत 1937, सत्यापित खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2014, सत्यप्रति मिलान क्षेत्रफल 2015 से 2034, सत्य प्रतिलिपि खतौनी बन्दोबस्त 2015 से 2034, सत्य प्रतिलिपि तुल्नात्मक क्षेत्रफल संवत् 1989 से 2009, सत्य प्रतिलिपि खसरा परिवर्तनशील 2025 से 2037, खसरा परिवर्तनशील 2038 से 2045, लगान रसीद फोटो प्रति, डिक्री फैसला 13.07.1992 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश नही किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द कर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रहलाद पुत्र पांचूराम कौम मीणा निवासी पालडी मीणा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, आनन्द कर पुत्र करूण कर कौम ब्राहम्ण उम्र 79 वर्ष निवासी पालडी मीणा हाल ब्रहमुपरी जयपुर, मोतीराम पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी घाटी पालडी तहसील सांगानेर जिला जयपुर, सुजाराम पुत्र मंगला कौम मीणा निवासी ससेल तहसील जयपुर जिला जयपुर पेश किये जो शामिल पत्रावली

पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। जिसमें अंकित है कि सम्वत् 2015 में राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम लागू होने तथा जागीर पुनर्ग्रहण हो जाने से जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 13 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये, लेकिन भू–प्रबंध विभाग के कारकूनान ने उसे चारागाह दर्ज कर दिया तथा वर्ष 1983–84 में संक्रियाओं के दौरान् भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने के बावजूद वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं की गई। वादीगण के वाद पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर कोई खण्डन नहीं किया गया। वादीगण की साक्ष्य का प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रति साक्ष्य से खण्डन नहीं किया गया। इस प्रकार वादीगण का अभिवचन व साक्ष्य अखण्डित रही।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वादीगण ने वादग्रस्त भूमि सम्वत् 1937 में जागीरदार की जागीर की भूमि होना तथा वह कभी चारागाह की भूमि नहीं होना अखण्डित प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–13 व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है तथा वादग्रस्त भूमि को भू–प्रबंध विभाग वालों द्वारा बिना किसी आदेश व अधिकार के चारागाह की भूमि दर्ज करना भी बसूखी साबित किया है। वादग्रस्त भूमि चारागाह नहीं होने के तथ्य को माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने प्रदर्श–9 तथा प्रदर्श–10 में स्पष्ट रूप से माना है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की लिखित बहस स्वीकार कर खसरा नंबर 145 तन पालडी मीणा की किस्म चारागाह निरस्त कर उसे खातेदारी की भूमि घोषित कर उसके रकबा 11.04 हैक्टर में से रकबा 6.40 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर उसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का इन्द्राज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें।

बहस उपरांत पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण का कथन की वादग्रस्त भूमि सम्वत् 2015 से पूर्व सम्वत् 2013 व 2014 में मकबूजा खातेदारी दर्ज थी, जिस पर वादीगण के पूर्वज गंगाराम व अन्य ठिकाना जागीरदार से बांटे बटाइ में लगान् अदा कर काश्त करते रहे। उनके बाद वादीगण के पूर्वज व वादीगण बहैसियत काश्तकार लगातार काबिज रहे। इस प्रकार हाल खसरा नंबर 145 में से 6.10 हैक्टर भूमि पर वादीगण लगातार अपने पूर्वजों के समय से आज दिन तक काबिज काश्त है। लेकिन वादग्रस्त भूमि को भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी आदेश व प्रक्रिया के चारागाह भूमि दर्ज कर दिया गया जो कानूनन गलत है। साथ ही अंकन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 137 वाली चारागाह भूमि नही होने के तथ्य को माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने प्रदर्श–9 तथा प्रदर्श–10 में स्पष्ट रूप से माना है तथा मुकदमें की वादग्रस्त भूमि उक्त खसरा नंबर 137 से बने खसरा नंबर 145 में से है, जो मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 व 4 से स्पष्ट है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजात पेश नही किया गया है जिससे स्पष्ट हो कि वादीगण संवत् 2015 से पूर्व से लगातार वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। साथ ही वादग्रस्त भूमि संवत् 2015 से ही चारागाह भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। इस आशय की डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.12.13 12:32:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: